राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2216/2008/जयपुर

मैसर्स आर.के.आर.टी. गुड्स केरियर (रजि.)
दिल्ली। .....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त अपील्स, प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–III, वृत–द्वितीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 10/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 495/आरएसटी/एनआरडी/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–III वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2001 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति 68,105/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2001 को वाहन संख्या DL-1GB/2707 को कुण्डा पुलिस चौकी एवं पुरानी चुंगी नाका के मध्य रोक कर चैक किया गया। वाहन में लदे माल सूटकेस/ब्रीफकेस तथा स्टील चद्दरों से संबंधित दस्तावेज वाहन चालक से मांगने पर उसके द्वारा वाछिंत दस्तावेज प्रस्तुत किये। दस्तावेजों की जांच पर दस्तावेज राज्य की प्रवेश जांच चौकी शाहजंहापुर पर प्रस्तुत नहीं किये गये थे जबकि परिवहनित माल दिल्ली से मुम्बई के लिये परिवहनित किया जा रहा था। जिसके लिये सीधा रास्ता चन्दवाजी से हरमाड़ा बाईपास था परन्तु वह जयपुर मार्ग पर माल परिवहनित करता पाया गया, अतः संदेह होने पर प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित माल प्रेषक व्यवसायी के पंजीयन क्रमांकों की विभागीय फ्लॉपी से जांच की गई। जांच में दोनों फर्में मिथ्या पाई गई। इस कारण से ट्रांसपोर्टर को वास्ते सत्यापन माल प्रेषक व प्रेषिति की सूचना पत्र जारी किया गया, परन्तु ट्रांसपोर्टर प्रेषक एवं प्रेषिति की सत्यता प्रमाणित करने में असमर्थ रहा। जो कि ट्रांसपोर्टर की माल मालिक व्यवसाईयों से मिलीभगत कर कर चोरी की नियत से माल परिवहनित करने के दोषी मनोभाव को भी प्रमाणित करता था। अपीलार्थी का उक्त कृत्य धारा 78(8) के प्रावधानों के स्पष्ट विपरीत होने के कारण ट्रांसपोर्टर के वास्ते स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया। नोटिस की पालना में ट्रांसपोर्टर कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, परन्तु माल प्रेषक एवं

.....क्रमशः 2

प्रेषिति के सत्यापन बाबत् कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण से सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी ट्रांसपोर्टर कंपनी को कर चोरी की नियत से मिथ्या दस्तावेजों के जरिये माल मालिक से मिलिभगत कर माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुये आदेश दिनांक 08.11.2001 द्वारा वाहन चालक पर धारा 78(8) के तहत शास्ति रुपये 68,105/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15.11.2007 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी पर शास्ति का आरोपण किया है। परिवहनित माल दिल्ली से मुम्बई के लिये था एवं वांछित दस्तावेजों से समर्थित था जो कि वक्त जांच सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, परन्तु उसके बावजूद भी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत जांच से उन्हें मिथ्या प्रमाणित किये बिना तथा बिना अपीलार्थी का करापवंचन का दोषी मनोभाव व मिलिभगत सिद्ध किये अपीलार्थी पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। जब अपीलार्थी द्वारा माल प्रेषक एवं प्रेषिति के पूर्ण पते वक्त जांच प्रस्तुत जांच कर दिये गये थे, तो उसके बावजूद भी अपीलार्थी पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही अविधिक है। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर भी सशक्त अधिकारी द्वारा कोई गौर किये बिना ही अपीलार्थी पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। अपने तर्क के समर्थन में इसी फर्म से संबंधित उपायुक्त अपील्स प्रथम वाणिज्यिक कर जयपुर की अपील संख्या 53/261/आरएसटी/अपील्स–तृतीय/एनआरडी/1998–99/आदेश दिनांक 25.08.2010 के निर्णय की प्रति पेश करते हुये कथन किया कि हस्तगत मामले में ही अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति, कर व सरचार्ज से संबंधित अपील स्वीकार करते हुये सशक्त अधिकारी का आदेश अपास्त कर दिया गया है। अतः जब मूल आदेश अंतर्गत धारा 78(5) अपास्त कर दिया गया है तो करापवंचन के संदेह में धारा 78(8) के तहत पारित आदेश स्वतः अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2001 को की गयी जांच के फलस्वरूप वाहन संख्या डी.एल.1/जीबी–2707 में परिवहनित माल से सम्बन्धित दो अभियोग क्रमशः अन्तर्गत धारा 78(5) व 78(8) दिनांक 08.11.2001 को पंजीबद्ध किये गये। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(5) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को जरिये

.....क्रमशः 3

आदेश दिनांक 25.08.2010 स्वीकार करते हुए शास्ति आदेश अपास्त किया गया है, जबकि धारा 78(8) के तहत पारित आदेश से सम्बन्धित हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2007 से ट्रांसपोर्टर की अपील अस्वीकार की गयी है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा करापवंचन के आधार पर जब मूल शास्ति आदेश, जो कि धारा 78(5) के तहत पारित किया गया है, को ही अपास्त कर दिया गया है तो करापवंचन में मिलीभगत के लिये ट्रांसपोर्टर पर अधिनियम की धारा 78(8) के तहत पारित आदेश स्वतः ही अपास्त किये जाने योग्य हो जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 15.11.2007 एवं सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 08.11.2001 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष